न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/124/2021	08-10-2021	09-09-2022

01- बिजेन्द्र सिंह पुत्र साधू सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलाण्ट

बनाम

01- राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 19.12.2019
अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 92/2019

उपस्थितः-
01- श्री राजेश कुमार गुप्ता —वकील अपीलाण्ट
01- श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

-:निर्णयः-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 92/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2076 में अपीलान्ट को ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 391 रकबा 3.20 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में 8 गुणा 12 फुट में दुकान का निर्माण किये जाने पर मौके से बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 391 किस्म गैर मुमकिन नला के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया है। अपीलान्ट जिस भूमि पर काबिज है, वह अपने पूर्वजो के समय से काबिज चला आ रहा है उक्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत नीमूचाना द्वारा दिनाक 28.12.2001 को प्रशासन गॉव के संग अभियान में जारी किया गया था। जिस की पैमाईश 26.06 फुट गुणा 36.03 फुट है। पटटे का नवीनीकरण ग्राम पंचायत नीमूचाना के द्वारा दिनाक 10.01.2018 को किया तथा पटटा दिनाक 02.02.2018 को सब रजिस्टार बानसूर के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने पटटा शुदा जमीन पर पुख्ता निर्माण किया हुआ है। तहत अदालत द्वारा पुख्ता निर्माण के बावत कोई जॉच नही की गयी है, और न ही ग्राम पंचायत नीमूचाना से इस बारे में कोई पत्र व्यवहार किया गया कि उक्त भूमि पर कोई पटटा जारी किया है, या नही किया गया है। अपीलान्ट अपने बुजुर्गो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, भूमि का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ही पटटा जारी करवाया है। तथा उस पर अपीलान्ट द्वारा पुख्ता निर्माण किया गया है। किसी प्रकार का अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा नही किया गया है। कुछ लोगो द्वारा बेवजह शिकायत की गयी है, जो निराधार है, जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो काबिल अपास्त है। तहत अदालत द्वारा दिनाक 02.12.2019 को प्रकरण दर्ज किया गया था तथा नोटिस जारी कर दिनाक 19.12.2019 की तारीख नियत की गयी दिनाक 19.12.2019 को ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक तरफा में निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण निर्धारित करने से पहले उक्त भूमि की पैमाईश करवायी जानी चाहिये थी, लेकिन मौके की कोई पैमाईश नही की गयी गयी पटवारी हल्का ने महज कयासिया अन्दाज के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट तहत अदालत को पेश की गयी है। तहत अदालत ने भी उक्त भूमि के पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी उक्त कार्यवाही के अभाव में किसी के विरूद्व यह आरोप नही लगाया जा सकता कि अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 19.12.2019 को अप्रास्त किया जावे।

राजकीय अभिमाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 391 किस्म गैर मुमकिन नला है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोक हित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। जिन पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी के विरूद्व बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 391 किस्म गैर मुमकिन नला के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया है। अपीलान्ट जिस भूमि पर काबिज है, वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आ रहा है उक्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत नीमूचाना द्वारा दिनाक 28.12.2001 को प्रशासन गॉव के संग अभियान में जारी किया गया था। जिस की पैमाईश 26.06 फुट गुणा 36.03 फुट है। पटटे का नवीनीकरण ग्राम पंचायत नीमूचाना के द्वारा दिनाक 10.01.2018 को किया तथा पटटा दिनाक 02.02.2018 को सब रजिस्टार बानसूर के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। पटवारी हल्का को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण निर्धारित करने से पहले उक्त भूमि की पैमाईश करवायी जानी चाहिये थी, लेकिन मौके की कोई पैमाईश नही की गयी गयी तहत अदालत ने भी उक्त भूमि के पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी उक्त कार्यवाही के अभाव में किसी के विरूद्व यह आरोप नही लगाया जा सकता कि अतिक्रमण किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का नीमूचाना द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दिनाक 02.12.2019 को प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनाक 19.12.2019 में नियत की गयी। जारी नोटिस की तामील स्वयं विजेन्द्र को दिनाक 17.12.2019 हुयी। अतिक्रमी बावजुद सूचना के तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही हुआ। नियत दिनाक को बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण दिनाक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज०)

19.12.2019 को निर्णय पारित किया गया है। विवादित निर्माण ग्राम नीमूचाना की आराजी 391 किस्म गैर मुमकिन नला में स्थित है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी पर अपीलांट का स्वामित्व हो या रहा हो। उक्तानुसार निशानदेही का कथन न्यायोचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोक हित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। जिन पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी के विरूद्व बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने से दण्डित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में फर्द नीलामी व बेदखली की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.2019 यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)